भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2852

06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी

2852. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या का तमिलनाडु सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विशेषकर तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लीकेज को कम करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं;

(ग) तमिलनाडु में राशन कार्डों के डिजिटलीकरण और उचित मूल्य की दुकानों पर ई-पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणों की स्थापना की स्थिति क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और उनकी प्रकृति क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का तमिलनाडु के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुँच और दक्षता में सुधार हेतु कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है, और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार प्रचालित होती है। एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) और (ग): प्रौद्योगिकी आधारित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के सुधारों के भाग के रूप में, टीपीडीएस में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (तमिलनाडु सहित) में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से डिजिटीकृत (100%) कर दिया गया है। पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (तमिलनाडु सहित) में लागू किया गया है। साथ ही, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (तमिलनाडु सहित) में ऑनलाइन आवंटन लागू किया गया है और तमिलनाडु सहित 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में (चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्र को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद हस्तांतरण योजना को अपनाया है) आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

...2/-

इसके अलावा, खाद्यान्न वितरण की बेहतर ट्रैकिंग के लिए, लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) खाद्यान्न वितरण के लिए तमिलनाडु में सभी उचित दर दुकानों (एफपीएस) को ईपीओएस डिवाइस संस्थापित कर स्वचालित किया गया है।

(घ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतें मुख्यतः निम्नानुसार श्रेणियों से संबंधित हैं:

i. राशन कार्ड में सदस्यों का समावेश/अपवर्जन।
ii. नया राशन कार्ड जारी करना/राशन कार्ड हटाना/राशन कार्ड की श्रेणी में परिवर्तन।
iii. लाभार्थी के विवरण में त्रुटियाँ।
iv. खाद्यान्न की गुणवत्ता/मात्रा।
v. ईपीओएस उपकरणों पर लाभार्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में त्रुटि/विलंब।
vi. एफपीएस (उचित दर दुकान) डीलरों द्वारा अधिक मूल्य वसूलना या अनधिकृत रूप से धन संग्रह करना।

जहाँ तक तमिलनाडु का संबंध है, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2022 से 2024 (अर्थात 2022 में 55, 2023 में 103 और 2024 में 151) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित कुल 309 शिकायतें प्राप्त हुईं। ये शिकायतें जाँच और उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजी गईं।

(ङ.) और (च): जैसा कि उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) में दिया गया है।

*****

अनुबंध

"पीडीएस के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों" के संबंध में दिनांक 06.08.2025 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2852 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एनएफएसए के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार कवरेज दर्शाने वाला विवरण

(लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मौजूदा कवरेज
1	आंध्र प्रदेश	268.22
2	अरुणाचल प्रदेश	8.44
3	असम	247.98
4	बिहार	871.16
5	छत्तीसगढ़	200.77
6	दिल्ली	72.78
7	गोवा	5.32
8	गुजरात	365.84
9	हरियाणा	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	29.88
11	झारखंड	264.19
12	कर्नाटक	401.93
13	केरल	154.80
14	मध्य प्रदेश	534.79
15	महाराष्ट्र	700.17
16	मणिपुर	20.87
17	मेघालय	21.46
18	मिजोरम	7.05
19	नागालैंड	14.05
20	ओडिशा	325.17
21	पंजाब	141.45
22	राजस्थान	440.01
23	सिक्किम	3.81
24	तमिलनाडु	364.12
25	तेलंगाना	191.70
26	त्रिपुरा	24.43
27	उत्तर प्रदेश	1498.70
28	उत्तराखंड	61.94
29	पश्चिम बंगाल	601.84
30	अंडमान और निकोबार	0.61
31	दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	2.69
32	लक्षद्वीप	0.22
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	2.99
34	पुडुचेरी (डीबीटी)	6.34
35	जम्मू-कश्मीर	72.41
36	लद्दाख	1.44
कुल		**8056.05**

*****